न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सामनाथ,आई.ए.एस
मुकदमा नम्बर 47/2018 राजस्व वाद

उनवान

श्रीमति सोहनी बाई पुत्री स्व0 भीयाराम उर्फ रामधुन भाम्बी निवासी गठीलाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।

— वादीया

बनाम

1– श्री रामनिवास पुत्र स्व0 भीयाराम उर्फ रामधुन भाम्बी निवासी गठीलाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2– श्री जगदीश पुत्र स्व0 भीयाराम उर्फ रामधुन भाम्बी निवासी गठीलाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3– शान्ति बाई पुत्री स्व0 भीयाराम उर्फ रामधुन भाम्बी निवासी गठीलाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
4– श्रीमती मन्जू देवी पत्नी मनोहर लाल बलाई निवासी बिलिया कलॉ तहसील एवं जिला भीलवाडा
5– श्रीमती चंदा देवी पत्नि भवानीराम मेघवंशी निवासी शास्त्री नगर, भीलवाडा तहसील एवं जिला भीलवाडा
6– श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा निवासी आर्य समाज रोड, भीलवाडा तह0 एवं जिला भीलवाडा
7– नगर विकास न्यास, भीलवाडा जरिये सचिव नगर विकास न्यास, भीलवाडा
8– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।
9– उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय भीलवाडा

— प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री शोभागमल कुमावत अधिवक्ता वादीया
श्री हरदयाल वर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 05
श्री गणेश जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 07
श्री प्रकाश चन्द्र सरगरा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01
श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 04

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) व 188 आरटीए

निर्णय

दिनांक 08.07.2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 03 का सजरे में भीयाराम उर्फ रामधनु भाम्बी के 2 पुत्र रामनिवास एवं जगदीश है व 2 पुत्रीया सोहनी, शान्ति हैं एवं धापू (फौत) पत्नी भीयाराम उर्फ रामधुन भाम्बी है। वादीया भीयाराम उर्फ रामधुन भाम्बी की जायन्दा पुत्री होकर विधिक वारीस व उत्तराधिकारी है। ग्राम गठीलाखेडा के आराजी न0 532, 533 , 534, 535 ,536, 537, 538, 539/2, कुल किता 8 रकबा 5 बीघा भूमि स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज है। उपरोक्त वर्णित आराजियात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता भीयाराम भाम्बी की होकर पुश्तैनी भूमि है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 जो कि भीयाराम की जायन्दा पुत्री होने के बावजूद राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से वादीया व उसकी बहिन का नाम दर्ज नही हुआ जिसका प्रतिवादी संख्या 01 व 02 व धापू द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 का नाम दर्ज नही हुआ जिसका प्रतिवादी संख्या 06 जो कि ब्राह्मण होकर स्वर्ण जाति का होने से नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 06 जो कि ब्राह्मण होकर स्वर्ण जाति का होने से इसके नाम नही हो सकती व उसके बिकाऊ करने का अधिकार नही मिलता इसके बावजूद भी उसके पक्ष में मुख्तियारनामा पंजीयन करा दिया । वादिया का पारिवारिक सजरे अनुसार 1/5 हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 व धापू व प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 के पक्ष में वादिया के हक हिस्से सहित प्रतिवादी संख्या 04 को दिनांक

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

...005 एवं 12.12.2005 को विक्रय कर दी। व प्रतिवादी संख्या 4 ने दिनांक 08.06.2006 ...वादी संख्या 05 को विक्रय कर दी, जो विक्रय पत्र वादीया के मुकाबले null and ... तथा वादीया राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करा अपना 1/5 हक हिस्सा दर्ज ... व खातेदार काश्तकार घोषित (Declaration swif) से होने की अधिकारिणी है ... घोषणात्मक डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी कराया जाना न्योयोचित ...श्यक है एवं बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा की ...ई जावें कि प्रतिवादीगण वादिया का वादग्रस्त आराजियात से जबरन शक्ति के ...पर बेदखल नही करें न ही किसी अन्य से करायें तथा वादीया के शान्तिपूर्वक उपयोग ...ोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट ना तो स्वयं पैदा करें और न ही किसी अन्य ...करावें। हर्जा खर्चा मुकदमा मय महनताना वकील वादिया को प्रतिवादीगण से दिलाया ...वे।

वादिया का वादपत्र पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण के सम्मन जारी किये ...। प्रतिवादी संख्या 05 की ओर से दिनांक 16.07.2018 को वकालतनामा पेश हुआ। ...वादी संख्या 07 की ओर से वकालतनामा दिनांक 24.08.2018 को पेश हुआ। प्रतिवादी ...ख्या 05 की ओर से दिनांक 21.01.2019 को जवाब पेश हुआ प्रतिवादी संख्या 01 की ओर ... दिनांक 13.06.2022 को वकालतनामा एवं जवाब पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 07 का जवाब ... किया। प्रतिवादी संख्या 02, 3, 04, 06 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी ...ख्या 04 की ओर से वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 व धारा 151 सीपीसी ...ा पेश हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 09.11.2022 को स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 04 के ...रूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही को समाप्त किया गया प्रतिवादी संख्या 04 ने जवाब पेश ...ही किया जिसका जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 07 को जवाब पेश करने हेतु पत्र ...दनांक 29.05.2024 को जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 07 की ओर से जवाब दिनांक 12. ...6.2024 को पेश हुआ जो निम्न प्रकार हैः–

खातेदार द्वारा section 90 (B) of R.T.A 1956 के तहत आवेदन किए जाने पर ...विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए समर्पण स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी नगर विकास ...्यास के नाम दर्ज हो गई है। नामान्तकरण संख्या 1144 दिनांक 29.10.2009 को ही 90 बी ...के अन्तर्गत भूमि न्यास के नाम दर्ज कर ली गई थीं। न्यास के नाम दर्ज होने के उपरान्त ...भूमि की प्रस्थिति एक कृषि भूमि की नहीं रही है। इसलिए इस भूमि पर प्रार्थी वादी को ...खातेदार काश्तकार घोषित नही किया जा सकता है। वादी का वादपत्र सव्यय खारिज कराया ...जावे।

वादीया के वादपत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं ...रीक्षण किया गया वादग्रस्त ग्राम गठीलाखेडा के आराजी न0 532, 533 , 534, 535 ,536, ...37, 538, 539/2, कुल किता 8 रकबा 5 बीघा भूमि जमाबंदी संवत 2062–2065 में ...रामनिवास, जगदीश पिता भीया, धापू बेवा भीया भाम्बी सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड थी। ...जिसमें से विक्रय पत्र दिनांक 05.06.2006 से जरिये नामान्तरण संख्या 988 कुल किता 05 ...कुल रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि मन्जू देवी पत्नि मनोहर लाल बलाई निवासी बिलियाकलां ...के नाम दर्ज हुई इसके पश्चात विक्रय पत्र दिनांक 05.06.2006 से जरिये नामान्तरण संख्या 989 रकबा 01 बीघा 7 बिस्वा भूमि मन्जू देवी पत्नि मनोहर लाल बलाई निवासी बिलियाकंला के नाम दर्ज हुई । इसके पश्चात विक्रय पत्र दिनांक 11.06.2006 से जरिये नामान्तरण संख्या 999 से कुल किता 08 रकबा 5 बीघा भूमि चंदा देवी पत्नि भवानीराम मेघवंशी सा. शास्त्री नगर भीलवाडा के नाम दर्ज हुई।

प्रतिवादी संख्या 01 रामनिवास एवं प्रतिवादी संख्या 02 जगदीश आत्मज भीया भांबी एंव धापू बेवा भीया भाम्बी निवासी गठिलाखेड़ा ने राजेन्द्र प्रसाद शर्मा आत्मज जगदीश प्रसाद शर्मा निवासी भीलवाड़ा हरिओम दूध भण्डार के पास आर्य समाज रोड़ भीलवाड़ा को मुख्तीयार आम... नियुक्त करते हुए ग्राम गठिलाखेड़ा के आराजी नम्बर 532 मी., 533 मी., 534 मी. 535 मी., 536 मी., 537 मी., 538 मी., 539 मी. 540 मी., कुल किता 09 रकबा 05 बीघा 11 बिस्व... भूमि को विक्रय इकरार निष्पादित कर विक्रय राशि प्राप्त करने व विक्रय पत्र पंजीयन करने व... कब्जा सुपुर्द करने के अधिकारी, दिनांक 22.06.2005 को जरिये मुख्तीयार आम पंजीयन स... अधिकारी दिए गए। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 व 2 जो अनुसुचित जाति के व्यक्ति होक... प्रतिवादी संख्या 06 स्वर्ण जाति के व्यक्ति के पक्ष में मुख्तीयार आम का पंजीयन करवाकर 4... (B) of R.T.A. का स्पष्ट उलंघन किया गया।

...अधिकारी एव
...हायक कलक्टर
...भीलवाड़ा

वादग्रस्त आराजियात के विक्रय पत्र दिनांक 05.06.2006 व 11.06.2006 का निष्पादन संख्या 01, 02, 04 ने प्रतिवादी संख्या 05 के पक्ष में कियास गया। यानि प्रतिवादी 06 द्वारा वादग्रस्त आराजियात के विक्रय निष्पादन व पंजीयन का सम्पादन नहीं किया

प्रतिवादी संख्या 05 चंदा देवी ने अपने जवाब में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 06 राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के नाम पर दर्ज रेकार्ड नही है। उक्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 05 की खरीदशुदा है जिसको नगर विकास न्यास ने अधिग्रहण की है। मौके पर आवासीय प्लॉट कट चुके है।

वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के साथ संलग्न जमाबंदी संवत 2070–2073 जमांबदी (वर्ष 2021) में ग्राम गठीलाखेडा के आराजी न0 532, 532/3, 533, 533/4, 534, 535, 536/2, 537, 538, 539/2 नगर विकास न्यास भीलवाडा के नाम दर्ज हो चुकी है। वादीया का वादपत्र चलने योग्य नहीं है। वादग्रस्त आराजियात नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के नाम पर अन्दर हल्के आबादी में आ जाने से वादीया का वाद खारिज योग्य है। वादीया का वादपत्र उपरोक्त विवेचन अनुसार स्वीकार योग्य नही ठहरता हैं। अतएव

आदेश

वादीया का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) 188 आर0टी0ए0 का ग्राम गठीलाखेडा के आराजी न0 532, 532/3, 533, 533/4, 534, 535, 536, 536/2, 537, 538, 539/2 की भूमि नगर विकास न्यास भीलवाडा के नाम दर्ज हो चुकी है। वादग्रस्त आराजियात अन्दर हल्के आबादी में आ जाने से वादीया का वाद पत्र विधि विरुद्ध होने से खारिज किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे। तदानुसार डिकी जारी करे।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ IAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

1. श्रीमती सोहनी बाई पुत्री स्व0 भीयाराम उर्फ रामधुन भाम्बी निवासी गठीलाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

–वादीया

बनाम

1. श्री रामनिवास पुत्र स्व0 भीयाराम उर्फ रामधुन भाम्बी निवासी गठीलाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. श्री जगदीश पुत्र स्व0 भीयाराम उर्फ रामधुन भाम्बी निवासी गठीलाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. शान्ति बाई पुत्री स्व0 भीयाराम उर्फ रामधुन भाम्बी निवासी गठीलाखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. श्रीमती मंजू देवी पत्नी मनोहर लाल बलाई निवासी बिलिया कलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. श्रीमती चंदा देवी पत्नी भवानीराम मेघवंशी निवासी शास्त्री नगर, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा निवासी आर्य समाज रोड़, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. नगर विकास न्यास भीलवाड़ा जरिये सचिव नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा राज0
9. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 रा.टि.ए.

प्रकरण संख्या 47/2018 राजस्व वाद

वादीया की ओर से अधिवक्ता श्री शोभागमल कुमावत उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 01, 04, 05, 07 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित में– इस वाद में आज तारीख 08.07.2024 को पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है–

वादीया का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क, 188 आर0टी0ए0 का ग्राम गठीलाखेडा के आराजी न0 532, 532/3, 533, 533/4, 534, 535, 536, 536/2, 537, 538, 539/2 की भूमि नगर विकास न्यास भीलवाडा के नाम दर्ज हो चुकी है। वादग्रस्त आराजियात अन्दर हल्के आबादी में आ जाने से वादीया का वाद पत्र विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा